

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ENERGY DEPARTMENT**

No.F.23(3)Energy/2015

Jaipur, dated: 23/6/16

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 162 of the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36, of 2003) and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the State Government hereby appoint the following persons presently holding the posts of Senior Electrical Inspector, Electrical Inspector, Assistant Electrical Inspector and Junior Electrical Inspector under the Energy Department of the Government of Rajasthan as Electrical Inspector, to exercise the powers and perform the functions of Electrical Inspector under the said Act, for the whole State of Rajasthan, namely :-

1. Shri R.P. Sharda
2. Shri G.S. Jingar
3. Shri Mukesh Kumar Meena
4. Shri Ram Prasad Meena
5. Shri Manish Kumar Jain
6. Shri Rampal Singwal
7. Shri Fakruddin Khan
8. Shri Ravindra Pal Singh
9. Shri Shurveer Singh Devda
10. Shri Vinit Kumar
11. Shri Ratan Lal Garg
12. Shri Narendra Kumar Vijay
13. Shri Rajendra Prasad Anwala
14. Shri Ramdayal
15. Shri Raj Kumar Gupta
16. Shri Rajendra Kumar Joshi
17. Shri Manish Kumar Jain
18. Shri Sunil Saraswat
19. Shri Naresh Kumar Satija
20. Shri Kanhaiya Lal
21. Smt. Shobha Arya
22. Shri Manoj Kumar Todwal
23. Shri Vipin Joshi
24. Shri M.S. Ansari

The persons so appointed as Electrical Inspector shall exercise the powers and perform the functions in the area as may be assigned to them and subject to such restrictions as may be imposed on them by the State Government, from time to time.

By Order of the Governor,



(U.D. Khan)

Joint Secretary to the Government

23/6/16

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
2. Special Assistant, Hon'ble State Minister, Energy
3. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
4. Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
5. Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
6. Pr. Secretary, Energy
7. Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/
Utpadan Nigam Limited, Jaipur
8. Chairman Discoms, Jaipur.
9. Managing Director, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam
Limited.
10. Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
11. Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation,
Jaipur
12. Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly
get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
13. Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur to kindly circulate the
notification to all the officers of the Electrical Inspectorate
Department.
14. Electrical Inspector, Jaipur/Kota/Jodhpur
15. Guard File.


Joint Secretary to the Govt.

23/6/16

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

सं. एफ. 23(3) ऊर्जा/2015

जयपुर, दिनांक : 23/6/16

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) की धारा 162 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में पूर्व में जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, वर्तमान में ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, सहायक विद्युत निरीक्षक और कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक का पद धारण कर रहे निम्नलिखित व्यक्तियों को, उक्त अधिनियम के अधीन, सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए इसके द्वारा, विद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :-


1. श्री आर.पी.शारदा
2. श्री जी.एस. जीनगर
3. श्री मुकेश कुमार मीणा
4. श्री राम प्रसाद मीणा
5. श्री मनीष कुमार जैन
6. श्री रामपाल सिंगवाल
7. श्री फकरुद्दीन खान
8. श्री रवीन्द्र पाल सिंह
9. श्री शूरवीर सिंह देवड़ा
10. श्री विनीत कुमार
11. श्री रतन लाल गग
12. श्री नरेन्द्र कुमार विजय
13. श्री राजेन्द्र प्रसाद आंवला
14. श्री रामदयाल
15. श्री राजकुमार गुप्ता
16. श्री राजेन्द्र कुमार जोशी
17. श्री मनीष कुमार जैन
18. श्री रूनील सारस्वत
19. श्री नरेश कुमार सतीजा
20. श्री कन्हैयालाल
21. श्रीमती शोभा आर्य

10

22. श्री मनोज कुमार टोडवाल
23. श्री विपिन जोशी
24. श्री एम.एस. अंसारी


विद्युत निरीक्षक के रूप में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, ऐसे निबंधनों के अध्यक्षीन जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, उन पर अधिरोपित किये जायें, उस क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें समनुदेशित किये जायें।

राज्यपाल के आदेश से,


(यू.डी.खान) 23/6/16
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ऊर्जा
3. मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
5. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
8. अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
10. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियाँ इस विभाग को भिजवावे।
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विद्युत निरीक्षणालय के समस्त सहायक विद्युत निरीक्षकों एवं कनिष्ठ विद्युत निरीक्षकों को उक्त अधिसूचना की प्रति भिजवावे।
14. विद्युत निरीक्षक, जयपुर/कोटा/जोधपुर
15. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव
23/6/16